

(d) the names of the Union Ministers who intervened?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) The number of illegal strikes from 1-4-1964 to 25th July, 1967 is 46.

(b) .. 7

(c) .. 4

(d) 1. Shri C. Subramanian,

2. Shri Raj Bahadur

3. Shri Ashok Mehta

4. Shri V. K. R. V. Rao.

मैट्रिक पास मेजिस्ट्रेट

7644. श्री राम गोपाल शालवाले :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री अर्जुन सिंह भवौरिया :

डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकांश मेजिस्ट्रेट केवल मैट्रिक हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने और उन्हें इन पदों पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में, दिल्ली में प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेटों के 48 पदों में से केवल 4 पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त थे जो मैट्रिक

थे। तीन व्यक्ति दिल्ली-हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा में नियुक्त किए गए। इनका चयन एक समिति द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य ने की। इस समिति द्वारा चौथे व्यक्ति को भी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

Temporary and Quasi-Permanent Employees of the Central Government

7645. Shri Atam Das: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the total number of temporary and quasi-permanent employees of the Central Government;

(b) the total number of such employees who have been confirmed during the last three years and the number who are going to be made permanent during the current year; and

(c) the number of years of service which is required to become quasi-permanent and permanent and the criteria followed in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) a Government servant shall be deemed to be in quasi-permanent service—

(i) if he has been in continuous temporary service for more than three years; and

(ii) if the appointing authority, on being satisfied as to his suitability for employment in quasi-permanent capacity on